न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 09/2022 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

दलवीर पचार पुत्र बलवंत निवासी ग्राम हुणतपुरा ग्राम पंचायत जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

——अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

—:निर्णयः— दिनांकः—21.06.2023

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.08.202 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ हमराह कर्यालय स्टाफ ग्राम हुणतपुरा ग्राम पंचायत जाटान स्थित एक दुकान में पैट्रोल—डीजल का अवैध भण्डारण एंव बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान मालिक दलवीर पचार की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान पर 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प मिला। मौके पर पाया गया सामान दुकान में पेट्रोल—डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर दलवीर पचार द्वारा उनके पास पेट्रोल—डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर दुकान में पाये गये 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं पैट्रोल—डीजल का अवैध कारोबार स्पष्ट होने पर मौके पर पाये गये पैट्रोल—डीजल व अन्य सामान को जब्त कर लिया गया। जब्त सामग्री श्री साहिल पुत्र उम्मेद खां जाति मुसलमान हाल उचित मूल्य दुकानदार रासलाना तहसील भादरा को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से लिखाया गया। चूंकि श्री दलवीर पचार का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर जिला रसद अधिकारी द्वारा निवेदन किया है कि जब्तशुदा कुल 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र परिवादी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 24—08—2022 को जिला रसद

Web Copy Not Official

अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा ग्राम पंचायत जाटान स्थित एक दुकान में पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एवं अवैध बेचान का तथ्य गलत एवं निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु डीजल लाया गया था जिसे प्रार्थी अपने घर के गैराज में रखा हुआ था। उक्त गैराज को दुकान बताकर एवं डीजल को विक्रय हेतु रखा होना बताकर बिना किसी आधार के जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त अविधिक कार्यवाही की गई जो काबिल अपास्त योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने अवैध दबाव में आकर मुझ अप्रार्थी का डीजल व अन्य सामान जब्त किया है जो प्रार्थी की कृषि जरूरत का है। जबकि प्रार्थी के धारण में निर्धारित 2500 लीटर से कम 650 लीटर डीजल था। 650 लीटर डीजल व 10 लीटर पैट्रोल अपने घरेलु कार्यों हेतु रखना कोई अपराध नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने बिना किसी अधिकार कानून के उक्त अविधिक कार्यवाही की है। बिना जांच के किसी परिसर को सक्षम अधिकारी अथवा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति के बिना परिसर को शक की बिनाह पर सीज करने का कोई अधिकार जिला रसद अधिकारी को प्राप्त नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने अवैध दबाव में आकर मुझ प्रार्थी को हैरान परेशान करने के उदेश्य से एवं समाज में मुझ प्रार्थी को बेइज्जत करने हेतु उक्त कार्यवाही की गई है। उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग व अपने कृषि कार्यो हेतु लाया गया था एवं 650 लीटर डीजल अपने घरेलु अथवा कृषि कार्य हेतु रखना राजस्थान राज्य एवं भारत वर्ष में आपराधिक कृत्य नही है ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। प्रार्थी ने अपने निजी कृषि कार्य हेतु 650 लीटर डीजल व घरेलु जरूरत हेतु 10 लीटर पैट्रोल अपने घर के गैराज अन्य सामान के साथ रखा हुआ था जो कि कोई अपराध नहीं है। प्रार्थी को जानबूझकर हैरान परेशान करने के उदेश्य से विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो खारिजी योग्य है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल अपने कृषि व घरेलु कार्य हेतु रखने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। माननीय जिला रसद अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर मुझ अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के उदेश्य से उक्त कार्यवाही की है। जिला रसद अधिकारी को समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 650 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि हेतु रखना कोई अपराध नहीं है उसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी ने उक्त कार्यवाही की जो काबिल खारिजी के है। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रिमीनीयल एसबी मिसलेनीयस रिट पेटीशन नं. 1206/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.8.2017 व पेटीशन संख्या 4279/2018 में पारित आदेश 03.01.2019 में इस तरह की कार्यवाहीयों को गलत मानते हुए जब्त डीजल वापिस शास्ती सहित दिलवाने के आदेश दिये है। मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही काबिल खारिजी के है। अतः नोटिस हाजा की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जाकर उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी से जब्त शुदा 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल, एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प मुझ अप्रार्थी को सौंपने के आदेश फरमाये जावे।

बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल को ड्रम व नाप आदि के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेन्स व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय अन्य सामान को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के जमीन, खेत खलियान है जिनमें डीजल पैट्रोल की आवश्यकता रहती है अप्रार्थी ने उक्त डीजल अपने कृषि कार्य के उपयोग में लेने हेतु खरीद किया था जिसके बिल प्रार्थी ने जब्ती के समय सौप दिये थे जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी ने अधिकृत पैट्रोल पम्प से डीजल क्रय किया है। इसलिए परिवादी/अप्रार्थी उक्त 650 लीटर डीजल व 10 लीटर पैट्रोल अपने उपयोग उपभोग हेतु लाया था। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पैट्रोलियम पदार्थो के खुदरा विक्रय की सीमा उपभोक्ता एक समय में 2500 लीटर तक निर्धारित की गई है। अतः जब्तशुदा डीजल, पैट्रोल, ड्रम, प्लास्टिक कैनी, पम्प व अन्य सामान अप्रार्थी को लौटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी के द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प जब्त कर जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा आवश्यक कार्यवाही बाबत निवेदन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। वर्तमान प्रकरण में 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प पाये गये है जबकि केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थी को 650 लीटर डीजल व 10 लीटर पेट्रोल रखने का अधिकार था। अप्रार्थी को 650 लीटर डीजल व 10 लीटर पेट्रोल रखने के लिये किसी लाईसेन्स/परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा 650 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम, 10 लीटर पैट्रोल मय एक लोहे की कैनी, 7 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, एक हस्तचालित पम्प जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा तैल 650 लीटर डीजल व 10 लीटर पेट्रोल मय जब्तशुदा प्लास्टिक के ड्रम व कैनीयां, नाप एवं पम्प अप्रार्थी को दिये जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(रूक्मणी रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़